समाहरणालय, शेखपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत संचालित पालनाघर, शेखपुरा के संचालन हेतु रिक्त पदों पर जिलास्तरीय संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या –(पालनाघर 01/2024)

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक– WCDC/1882/23, दिनांक– 09.08.2023 के आलोक में पालनाघर के संचालन हेतु स्वीकृत श्रम बल के विरूद्ध संविदा आधारित नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र०	पद का नाम	पद की संख्या	योग्यता / अर्हता	मासिक मानदेय	अभ्युक्ति
1	क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	स्नातक उतीर्ण अनुभव– बच्चों के साथ किसी भी संस्थान / विद्यालय / आँगनबाड़ी / प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य का तीन वर्ष का अनुभव	14730.00	अधिकतम् 40 वर्ष
2	सहायक क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	12वीं उतीर्ण अथवा इंटरमीडिएट पद पर चयन हेतु बच्चों की देख–रेख से संबंधित कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	11640.00	अधिकतम् 40 वर्ष

1. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
2. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
3. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है।
4. उम्र सीमा संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को अधिकतम् उम्र 40 वर्ष तक होगी।
5. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए सदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
6. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात् सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएगें न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगें।
7. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
8. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग / संस्थान / कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. सरकारी / अर्ध–सरकारी अथवा गैर–सरकारी विभाग / संस्थान / कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
10. स्वीकृत श्रमबलों के विरूद्ध रिक्त पदों पर चयन के लिए कम से कम तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा, जाकि किसी कर्मी द्वारा पद त्याग / निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्त किया जा सके। यह पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पैनल की अवधि एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी।
11. सभी नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर की जायेगी तथा नियुक्त कर्मियों को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा तक सीमित रहेगा।
12. कार्यत कर्मियों के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता में किया जायेगा।
13. पालनाघर के लिए नियुक्त कर्मी पूर्णरूपेण पालनाघर के कार्यो के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगें तथा उनकी सेवा का उपयोग अन्य कार्य में नहीं लिया जायेगा।
14. पालनाघर के कर्मियों की कार्य अवधि का विस्तार उनके कार्य मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। कार्य मूल्यांकन हेतु नोडल विभाग द्वारा नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यी समिति गठित की जायेगी, जिसमें दो लाभुक की माताएँ शामिल रहेंगी। समिति के अनुशंसा के आलोक में कर्मियों के अवधि विस्तार के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
15. चयन प्रक्रिया–निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित Email ID एवं जिला के वेबसाइट **https://sheikhpura.nic.in/** पर दी जायेगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
16. विज्ञापन एवं सेवा शर्तो से संबंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के अधीन है। जिला पदाधिकारी, शेखपुरा विज्ञापन को संशोधित / रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।
17. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों, 04.12.2024 तिथि तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्र/ अंकपत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए निबंधित डाक के माध्यम से जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई.सी.डी.एस. में समर्पित करेंगे। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
18. एक से अधिक पदों के लिए अलग–अलग आवेदन मान्य होंगे।
19. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट / छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
20. अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट, अन्य घोषणाओं हेतु वेबसाइट https://sheikhpura.nic.in का अवलोकन करते रहेंगे।

आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत विवरणी **state.bihar.gov.in/prdbihar** पर देखी जा सकती है।

जिला पदाधिकारी
शेखपुरा

PR- 012963 (SWD) 2024-25

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार